# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

## पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 23 / 2018(उदयपुरआर्डर)**

1. गोवर्धन दास पिता श्री कालू दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मण दास पिता श्री कालू दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)जगदीश दास पिता श्री कालू दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर
3. गणपत दास पिता श्री कन्नीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. नाथू दास पिता श्री कन्नीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. बंशी दास पिता श्री कन्नीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती ज्ञानी पिता श्री कन्नीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती गंगा पिता श्री कन्नीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती बसन्ती पिता कन्नीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. पुरण दास पिता श्री कभीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. हिरा दास पिता श्री कन्नीराम दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. कालू दास पिता श्री गोपाल दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्रीमती नर्बदा पत्नी छगनलाल जी शर्मा मृतक के बजाय :–

13 / 1. शान्ति लाल पिता छगनलाल जी शर्मा, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

13 / 2. कमला शंकर पिता छगनलाल जी शर्मा, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

13 / 3. प्रेम शंकर पिता छगनलाल जी शर्मा, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

13. ऊंकार पिता शीरूलाल माराज, ब्राह्मण, निवासी बांसड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
14. प्रभू पिता शीरूलाल माराज, ब्राह्मण, निवासी बांसड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

..... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. श्री चारभुजा स्थान केदारिया, तहसील वल्लभनगर जरिये वाद मित्र श्री चारभुजा जी मंदिर विकास मण्डल के अध्यक्ष बंशीलाल पिता रेवा शंकर शर्मा, उपाध्यक्ष रामलाल पिता भैरूलाल शर्मा, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. भंवर दास पिता श्री कालू दास साधु, निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. जमना पिता बंशीलाल जी महाजन, ब्राह्मण, निवासी बांसड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. राम जी पिता बंशीलाल जी महाजन, ब्राह्मण, निवासी बांसड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णयसहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), प्रकरण संख्या 32/2013 दिनांक 26.03.2018

———/———

<u>उपस्थित(वक्तबहस)</u> 1. श्री हुक्मीचन्द सांगावतअभिभाषकअपीलान्टगण

2. श्री अभिमन्यु जाट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

3.श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे. सं. 5

———::———

<u>निर्णयदिनांक 21–11–2022</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा केदारिया में परिशिष्ठ ''क'' की आराजी नंबर 192/1, 192/2, 193, 194, 454 कुल किता 5 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा एवं परिशिष्ठ ''ख'' की आराजी नंबर 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230 कुल किता 8 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षी संख्या 1 से 13 का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार तथा विपक्षी संख्या 15 से 18 का सजरा कलम संख्या 3 अनुसार है। गांव केदारिया माफी का गांव था तथा उक्त आराजियात माफी की थी। माफीदारों द्वारा उक्त परिशिष्ठ ''क'' की आराजियात विपक्षी संख्या 1 से 13 के मौरूस को इस शर्त पर दी गयी कि वे चारभुजा जी मंदिर की सेवा पूजा करेंगे एवं इसी तरह परिशिष्ठ ''ख'' की आराजियात विपक्षी संख्या 15 से 18 के मौरूस को इस शर्त पर दी गयी कि वे काती की ग्यारस की कथा, गामोटा पणावण, पतावण करेंगे एवं इसी अनुसार विपक्षी संख्या 1 से 18 के वारिसान उक्त आराजियात का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। माफीदारी सन् 1942 में रिज्यूम हो गयी। उक्त आराजियात के संबंध में विपक्षी संख्या 1 से 13 के मौरूस गोपालदास पिता लच्छीदास जी साधु तथा विपक्षी संख्या 15 से 18 के मौरूस भक[illegible] भाई, गोपाल पिता सवलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

जी द्वारा ग्रामवासियों के पक्ष में दिनांक 30—12—1942 को स्टाम्प पर लिखा पढ़ी कर हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशानी कर दी। उक्त आराजियात प्रार्थी चारभुजा जी स्थान केदारिया के खातेदारी एवं आधिपत्य की है, जो शाश्वत नाबालिग है एवं नाबालिग की जायदाद को खुर्द—बुर्द करने, रहन बैह, बक्षीस करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, किन्तु आराजियात गलत तरीके से विपक्षी संख्या 1 से 13 के मौरूस गोपालदास एवं विपक्षी संख्या 15 से 18 के मौरूस भवानी शंकर पिता सवलाल व गोपाल पिता सवलाल के नाम दर्ज हो गयी एवं गोपाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम दर्ज हो गयी है तथा भवानी शंकर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शीरूलाल के नाम व शीरूलाल की मृत्यु के बाद विपक्षी संख्या 15 व 16 के नाम दर्ज हो गयी है। उक्त आराजियात गोपाल के पुत्र बंशीलाल के नाम दर्ज हो जाने से उनके द्वारा एक नुमाईशी विक्रय शीरूलाल पिता भवानी शंकर ब्राह्मण के पक्ष में कर दिया गया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। बंशीलाल द्वारा किया गया विक्रय एबइनिश्योवोईड है। बंशीलाल की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस विपक्षी संख्या 17 व 18 हैं। उक्त आराजियात विपक्षीगण के नाम गलत तरीके से दर्ज हो जाने से उनके मन में फितूर आ गया है एवं वे भूमि को खुर्द—बुर्द एवं हस्तान्तरण करने पर आमादा है। इतना ही नहीं विपक्षी संख्या 1 से 12 ने उक्त आराजी न ंबर 454 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि में अपना 2/3 हिस्सा बताते हुए विपक्षी संख्या 14 को दिनांक 10—07—2019 को विक्रय कर दिया है, जो नुमाईशी विक्रय होकर प्रार्थी के मुकाबले शून्य व बेअसर है। उक्त नुमाईशी विक्रय के आधार पर विपक्षी संख्या 14 जबरन कब्जा करना चाहता है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वेप्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 के परिशिष्ठ ''क'' व ''ख'' की आराजियात को खुर्द—बुर्द नहीं करें, किसी प्रकार का हस्तान्तरण नहीं करें तथा विपक्षी संख्या 14 जबरन कब्जा नहीं करें, न किसी अन्य से करावें।

विपक्षी संख्या 1 से 6 तथा 11 से 16 की ओर सेखण्डन का जवाब प्रस्तुत कर किया गया एवं कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात उनकी खातेदारी की होकर अपने पूर्वजों के समय से उनका कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी जब तक विपक्षी संख्या 14 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख को सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं करा लेते, तब तक राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वाराउभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 26—03—2018 प्रार्थी का प्रार्थना पत्रस्वीकार करविपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया,जिससे रूष्ट होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 17–04–2018 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री अभिमन्यु जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया किरेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा जो लिखा–पढ़ी प्रस्तुत की गयी है वह अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्पड होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त दस्तावेज के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की मानने में भूल की है, क्योंकि यदि उक्त आराजियात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की होती तो राजस्व रेकार्ड में उनका नाम अवश्य दर्ज होता एवं अपीलान्ट का नाम पुजारी के रूप में अंकित किया जाता। संवत् 1998 से ही विवादित आराजियात अपीलान्टगण के मौरूस के नाम दर्ज थी एवं उसके बाद विरासत से उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज होती चली आ रही हैं एवं वर्तमान में अपीलान्टगण के नाम दर्ज है, जिसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अपने निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने न्यायिक नजीरें **RRT 2018 (1) Page 292, RRD 2002 Page 576, RRD 1997 Page 447, RRD 1993 Page 443, RRT 2009 (2) Page 1393, RRT 2003 Page 382, RRT 2006 (2) Page 1410, CT 2012 (1) Page 20HC, RRT 2007 (1) Page 432HC, CT 2009 (3) Page 749 SC, RRD 1991 Page 6HC** प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–12–1942 (संवत् 1998) के दस्तावेज के आधार पर विवादित आराजियात **चारभुजाजीकेस्थानकेदारिया**के खातेदारी एवं आधिपत्य की मानते हुए मूलवाद के निस्तारण तक उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत है, क्योंकि उक्त दस्तावेज में माफीदारों द्वारा विवादित आराजियात अपीलान्टगण के पूर्वाधिकारी को सेवा पूजा के एवज में दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। हालांकि उक्त दस्तावेज अनरजिस्टर्ड एवं अनस्टाम्प्ड है, जो साक्ष्य में ग्राह्य योग्य तो नहीं है किन्तु Co-latteral

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested

purpose से अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेज को अहम मानते हुए उसके आधार पर मूलवाद के निस्तारण तक प्रार्थी/रेस्पोन्न्ट संख्या 1 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–03–2018यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(अनीता मीना)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.19 16:14:15 IST
Reason: SelfAttested